संख्या–124/VI/2005–157/पर्य0/2001

प्रेषक,

ए0के0घोष,
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
उत्तरांचल, देहरादून ।

पर्यटन अनुभागः

देहरादून दिनांक 14 मार्च, 2005

विषयः– वित्तीय वर्ष 2001–2002 में जिला अनुश्रवण समितियों से अनुमोदित पर्यटन विभाग की पर्यटन स्थलों के विकास/सौन्दर्यीकरण हेतु अवशेष धनराशि।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–223/प0अ0/157/पर्य0/2001,दिनांक 11 फरवरी,2002 एवं शासनादेश संख्या–81/प0अ0/2002–130पर्य0/2002,दिनांक 15 मार्च,2003 तथा आपके पत्रांक संख्या–550/2–6–215/04–05,दिनांक 4 फरवरी,2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2001–2002 में टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित धनराशि रू0 6.00लाख में से उक्त वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि रू01.00 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2002–2003 में स्वीकृत धनराशि रू0 3.00 लाख के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2004–2005 में सम्पूर्ण अवशेष रू0 2.00 लाख(रूपये दो लाख मात्र) की धनराशि को श्री राज्यपाल महोदय व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्र0स0	योजना का नाम	टी0ए0सी द्वारा अनुमोदित धनराशि (रू0 लाख में)	वित्तीय वर्ष 2001–02 में स्वीकृत धनराशि(रू0 लाख में)	वित्तीय वर्ष 2002–03 में स्वीकृत धनराशि (रू0 लाख में)	वित्तीय वर्ष 2004–05 में स्वीकृत की जा रही सम्पूर्ण अवशेष धनराशि (लाख रू0 में)
	जनपद–उत्तरकाशी				
1–	ग्राम सभा नाकुरी में अश्व मार्ग का निर्माण/सौन्दर्यीकरण	6.00	1.00	3.00	2.00
	योगः–	6.00	1.00	3.00	2.00

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है और ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर के ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत /अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करालें ।

4– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय ।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नाम है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

6– उक्त योजना पर धनराशि आहरित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त योजनायें जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित हों और जनपद हेतु आवंटित प्लान परिव्यय के अनुरूप ही हो, अथवा सम्बंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी माने जायेंगें ।

7– यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस योजनाओं हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृति न हुआ हो।इस हेतु सम्बंधित आहरण वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा ।

8– योजना/कार्य पूर्ण होने के उपरान्त संम्बंधित निर्माण एजेन्सी उक्त कार्य स्थल पर इस आशय का एक साइन बोर्ड स्थापित करेगा कि उक्त कार्य पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित किया गया है । कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सम्बंधित जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्य का भौतिक निरीक्षण कर कार्य पूर्ण होने की सूचना यथा समय शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें ।

9–कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

10–कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एंव भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें ।

11–आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय ।

12–निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय ।

13–कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

14–स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–2005 तक उपयोग कर लिया जायेगा अन्यथा अवशेष धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी ।

15–उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक –5452–पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्बर्धन तथा प्रचार–91–जिला योजना 07–पर्यटक स्थलों का सौन्दर्यीकरण तथा सुविधायें– 42– अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

16–उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–431/वित्त अनु0–3/2004, दिनांक 22 फरवरी, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(ए0के0घोष)
अपर सचिव

संख्या– /VI/2005–157/पर्य0/2001 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ।
4– जिला पर्यटन विकास अधिकारी उत्तरकाशी।
5– वित्त अनुभाग–3.
6– श्री एल0एम0पन्त, अपर सचिव वित्त ।
7– अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
8– एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय परिसर।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

11/3/05

(ए0के0घोष)
अपर सचिव।